

807

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी को उचित नोटिस तब  
प्रतिपक्षी प्रकार सरकार तहसीलदार उदियारा की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत  
किया गया है कि मुताबिक वर्तमान रिकार्ड के गाम बनेटा के आराजीयात खाला संख्या 431  
ख0न0 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 902, 904 कुल रकबा 9 कुल कितना 3.52 है0 बाक  
गाम बनेटा गलकू पत्नी मांगीलाल जाति कीर दर्ज है। मुताबिक गामवासीयान व जाँच से गलकू

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काशत की  
आराजीयात आराजीयात खाला संख्या 431 ख0न0 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 902,  
904 कुल रकबा 9 कुल कितना 3.52 है0 बाक गाम बनेटा तहसील उदियारा जिला टोक में  
प्रार्थीया का नाम गालाब पत्नी माया के स्थान पर गलकू पत्नी मांगीलाल अंकित करवाते हूँ

प्रार्थीया का सही एवं वास्तविक नाम गलकू पत्नी मांगीलाल है जो कि प्रार्थीया के  
आवासा काले फोटी पहचान पत्र, राशानकाले व अन्य दस्तावेजात एवं जमाबंदी खाला संख्या 934 में  
प्रार्थीया का नाम गलकू पत्नी मांगीलाल अंकित है। परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में  
प्रार्थीया का नाम सहचन से गलकू पत्नी मांगीलाल के स्थान पर गालाब पत्नी माया अंकित कर  
दिया गया है, जबकि सही नाम गलकू पत्नी मांगीलाल है। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थीया  
का नाम गलकू पत्नी मांगीलाल के स्थान पर सहचन से गालाब पत्नी माया दर्ज हो जाने के  
कारण प्रार्थीया उक्त आराजी की कृषि उपज समर्थन मूल्य में विक्रय करने, कृषि अर्जदान प्राप्त  
करने व अन्य अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है।

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:-  
यह कि प्रार्थीया के संयुक्त खातेदारी व कब्जे काशत की आराजीयात खाला संख्या 431  
ख0न0 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 902, 904 कुल रकबा 9 कुल कितना 3.52 है0 बाक  
गाम बनेटा तहसील उदियारा जिला टोक में स्थित है।

**निर्णय**

- उपस्थित:-  
1. श्री मयूर अहमद वकील प्रार्थीया  
2. प्रकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0 में राजस्व अधिनियम

तहसीलदार तहसील उदियारा जिला टोक (राज0) - प्रतिपक्षी

**बनाम**

- प्रार्थीया

गलकू पत्नी मांगीलाल जाति कीर निवासी बनेटा तहसील उदियारा जिला टोक

**उत्तमान**

22.02.2021  
201/2020

प्रार्थना पत्र संख्या:-  
निर्णय दिनांक:-

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदियारा (टोक)  
(श्री रजनी मीणा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी उदियारा द्वारा अध्याक्षित)

उपखण्ड (विभागीय) उनीयारा

यह निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खूले न्यायालय में  
 विभागीय होनी  
 यात्रा का कोई हित प्रभावित होगा है तो सम्बन्धित को सूचित करने के लिए प्रार्थीया स्वयं  
 उक्त करने के आदेश दिये जाते हैं। अगर इससे किसी विलिय या अन्य किसी संस्था व किसी  
 दर्जा गैलब पत्नी माया के स्थान पर गलकू पत्नी मांगीलाल दर्जा कर राजस्व रेकॉर्ड को  
 902, 904 कुल रकबा 9 कुल किला 3.52 है 0 वाके ग्राम बनेटा तहसील उनीयारा जिला टोंक में  
 क्या जाता है कि वह संयुक्त खाला संख्या 431 ख0न0 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900,  
 मझला है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनीयारा को आदेशित  
 र गलकू पत्नी मांगीलाल से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित  
 उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित  
 मन्त 2070-2074 खाला संख्या 431 के आरजीयात में प्रार्थीया गैलब पत्नी माया के स्थान  
 मांगीलाल अंकित है। तहसीलदार उनीयारा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी ग्राम बनेटा नकल जमाबन्दी  
 माबन्दी समत 2070-2074 जमाबन्दी खाला संख्या 934 में भी प्रार्थीया का नाम गलकू पत्नी  
 माशाह काड,परिवार राशनकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलकू पत्नी मांगीलाल अंकित है। नकल  
 ति कीर दर्जा साकिन बनेटा खातेदार दर्जा रिकॉर्ड है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत छायाप्रति आधारकार्ड,  
 ता 3.52 है 0 वाके ग्राम बनेटा तहसील उनीयारा में प्रार्थीया का नाम गलकू पत्नी मांगीलाल  
 ता संख्या 431 ख0न0 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 902, 904 कुल रकबा 9 कुल  
 लख दरसावेजाल का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी समत 2070-2074 आरजीयात  
 उभय पक्षों की बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। पत्रावली एवं उस पर  
 या का नाम गलकू पत्नी मांगीलाल अंकित है।  
 मांगीलाल व गैलब पत्नी माया एक ही महिला है। जमाबन्दी खाला संख्या 934 में भी